कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सम्भल स्थित चन्दौसी।

पत्रांक– 40/नियुक्ति पत्रा0/2024–25 दिनांक–25/07/24

= विज्ञप्ति =

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 28/नियुक्ति पत्रा0/2024–25 दिनांक 08.07.2024 के द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सम्भल स्थित चन्दौसी में प्रस्तुतकर्ता के रिक्त पद भरे जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी। विज्ञप्ति में इच्छुक सेवा निवृत्त कर्मियों से दिनांक 24.07.2024 के सायंकाल 04.00 बजे तक आवेदन मांगे गये थे। निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कोई आवेदनपत्र प्राप्त न होने के कारण पुनः विज्ञप्ति जारी की जाती है।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सम्भल स्थित चन्दौसी में प्रस्तुतकर्ता के पद के लिए उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्णकालिक स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति से पद भरे जाने तक के लिये उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 1324/तीस–3–2019 परिवहन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 26.07.2019 एवं उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 278/तीस–3–2019 परिवहन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 09.03.2019 व उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या एम0 ए0सी0टी0–73/30–3–2020 परिवहन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 25.02.2020 व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 15385 /2022/एडमिन जी–1/इलाहाबाद दिनांक 30.11.2022, पत्र संख्या 15907/2022/एडमिन जी–1 सैक्शन/इलाहाबाद दिनांकित 12 दिसम्बर 2022 एवं परिपत्र संख्या 14/एडमिन डी सैक्शन, दिनांकित 15.10.2022 के प्रकाश में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सम्भल स्थित चन्दौसी में विभिन्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सेवा निवृत्त जिला न्यायालय कर्मी में से प्रस्तुतकार की पुनर्नियुक्ति की जानी है।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सम्भल स्थित चन्दौसी में वर्तमान में कार्यरत प्रस्तुतकर्ता दिनांक 31.07.2024 को 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त सेवा निवृत्त हो जायेंगे जिसके फलस्वरूप प्रस्तुतकर्ता के पद पर जिला न्यायालय से सेवानिवृत्त ऐसे कर्मी की पुनर्नियुक्ति की जानी है, जिसने जनपद न्यायालय में कार्य किया हो तथा जिसे सिविल न्यायालय में कार्य करने का अच्छा अनुभव रहा हो।

उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई व्यवस्था के तहत संविदा के रूप में की जायेगी और यह शासन स्तर पर प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण से पद भरे जाते ही या संबन्धित नियुक्त कर्मचारी के कार्य एवं आचरण संतोषजनक न होने की स्थिति में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

अतः उपरोक्त परिपत्रों के अन्तर्गत उक्त पद पर पुनर्नियुक्ति हेतु जिला न्यायालय कर्मियों से सेवानिवृत्त सक्षम एवं सभी अर्हताऐं रखने वाले कर्मियों से, निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

<u>शर्तें एवं प्रतिबन्धः–</u>

1–पुनर्नियुक्ति के दिनांक को सेवानिवृत्त कर्मी की आयु 65 वर्ष से अनधिक होनी चाहिये।

2–.यह पुनर्नियक्ति, पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मी के 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने, अथवा प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती से उक्त उपलब्ध रिक्तियों के भरे जाने तक, जो भी पूर्व हो तक के लिए की जायेगी।

3–अस्थाई रूप से संविदा कर्मचारी को उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अंतिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) को घटाने पर प्राप्त होने वाली राशि के बराबर वेतन देय होगा। अतएव् आवेदक सेवा निवृत्त कर्मी अपने आवेदन–पत्र के साथ पेंशन प्राधिकार–पत्र/पी0पी0ओ0 की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करेंगे।

4–यह पुनर्नियुक्ति, सेवानिवत्त कर्मी के पूर्व कार्यवृत्त अभिलेख एवं चरित्र–पंजिका में अंकित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि व व्यक्तिगत साक्षात्कार में उपयुक्तता एवं वरीयता के आधार पर की जायेगी। अतएव जिला न्यायालयों से संवानिवृत्त आवेदक/सेवानिवृत्त कर्मी अपने आवेदन–पत्र के साथ पूर्ववर्ती 05 वर्षों में चरित्र पंजिका में अंकित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करेंगे।

5–इस पुनर्नियुक्ति हेतु सेवा निवृत्त कर्मी अपने आवेदन पत्र के साथ इस आशय का नोटरी शपथ–पत्र कि उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद लम्बित नहीं है और न ही कभी उन्हें किसी आपराधिक मामले में दण्डित अथवा दोषमुक्त किया गया है, संलग्न करेंगे।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

6–इस पुनर्नियुक्ति हेतु इच्छुक सेवा निवृत्त कर्मी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 30.07.2024 के सायंकाल 4.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सम्भल स्थित चन्दौसी के आशुलिपिक कार्यालय को प्राप्त करा सकते हैं। निर्धारित दिनांक एवं समय के उपरान्त कोई आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

7–उपरोक्त शासनादेश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सम्भल स्थित चन्दौसी के लेखाकार के पास इच्छुक अभ्यर्थियों को अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

8–आवेदक अपने मूल परिपत्रों सहित व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु दिनांक 31.07.2024 को सायं 4.30 बजे समिति के समक्ष मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सम्भल स्थित चन्दौसी के विश्राम कक्ष में उपस्थित होंगे। कोई पृथक से सूचना प्रेषित नही की जायेगी।

(प्रदीप कुमार-V)
पीठासीन अधिकारी
नियुक्ति प्राधिकारी/मोटर दुर्घटना दावा
अधिकरण सम्भल स्थित चन्दौसी।

दिनांक:25.07.2024
स्थान–चन्दौसी।

प्रतिलिपि–

1–नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर, जजशिप, सम्भल स्थित चन्दौसी को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

2–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), सम्भल, सचिव/संयोजक, जिला स्तरीय चयन समिति जनपद–सम्भल को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु प्रेषित।

3–जिला सूचना अधिकारी जनपद सम्भल को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकशित कराने हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार-V)
पीठासीन अधिकारी
नियुक्ति प्राधिकारी/मोटर दुर्घटना दावा

दिनांक:25.07.2024
स्थान–चन्दौसी।